उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

89/2010

कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. रघुनन्दन पुत्र माधोलाल जाति ब्राहमण निवासी रायथल तहसील मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांकः 08.07.2010

निर्णय दिनांक : 28.09.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नं0 37 रकबा 1.55 है0, खसरा नं0 38/2070 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 552 रकबा 0.98 है0, खसरा नं0 734 रकबा 4.73 है0, खसरा नं0 1088 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1089 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1090 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1428 रकबा 0.12 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.71 है0 भूमि वाके माल रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। उक्त आराजी में से खसरा नं0 734 रकबा 4.73 है0 के पास ही प्रतिवादी का खेत है जो वादी को आये दिन धमकी देता है, कि तेरे खेत में मेंरी आराजी है, जिसे में हांक कर रहूंगा। प्रतिवादी कम 1 ने कभी भी अपने खाते की आराजी की पैमाईश भी नही करवायी है। अतः निवेदन है कि एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी कम 1 वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी में जबरन प्रवेश न करें, एवं वादी की आराजी को जबरन गैर कानूनी रूप से नही हांके, तथा वादी को शांती पूर्वक काश्त करने दें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.07.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन दि0 18.03.2011 को ही एक्स पार्टी हो चुका है। प्रतिवादीगण को एक्स पार्टी किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 28.09.2018 को बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि वादी की आराजी खसरा नं0 734 रकबा 4.73 है0 आराजी में प्रतिवादी कम 1 बदनियति रखता है एवं जबरन दखलअंदाजी करता है, अतः स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अवलोकन किया गया ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 734 रकबा 4.73 है0 का वादी खातेदार कृषक है, अतः मुताबिक वाद पत्र, शपथ पत्र

रोशनी में वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी
द कर आदेशित किया जाता है कि वादी की खाते की आराजी खसरा नं0 734 रकबा 4.73
ग्राम रायथल में वादी को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो
और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद दाखिल
हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना